

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे जैसा कि विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्षण तथा पुनः विनियोजन स्पष्ट रूप से शामिल हैं तथा यह विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की उन प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के सम्बन्ध में विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर किए गए पूँजीगत तथा राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन तथा प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के पूरक हैं।

2.1.2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाने वाला व्यय सही रूप से प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, अधिनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2011-12 के लिए लेखा नियंत्रक रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

2.2 विनियोजन लेखों का सारांश

वर्ष 2011-12 के दौरान 12 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त

स्थिति निम्न तालिका 2.1 में दर्शाए अनुसार थी:

तालिका 2.1 : मूल/पूरक अनुदानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोजन	पूरक अनुदान/विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अधिकता (+)
दत्तमत	I राजस्व	15776.70	379.20	16155.90	14985.27	(-)1170.63
	II पूँजीगत	4437.10	82.04	4519.14	4011.99	(-)507.15
	III ऋण व अग्रिम	2635.64	521.25	3156.89	3345.42	(+)188.53
कुल दत्तमत		22849.44	982.49	23831.93	22342.68	(-)1489.25
भारित	IV राजस्व	3117.50	1.19	3118.69	3027.82	(-)90.87
	V पूँजीगत	0.05	0	0.05	0.02	(-)0.03
	VI ऋण व अग्रिम	1100.00	0	1100.00	1087.88	(-)12.12
कुल भारित		4217.55	1.19	4218.74	4115.72	(-)103.02
आकस्मिक निधि से विनियोजन (यदि कोई हो)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल जोड़		27066.99	983.68	28050.67	26458.40	(-)1592.27

₹ 1592.27 करोड़ की कुल बचत राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ग्यारह अनुदानों और एक विनियोग (सार्वजनिक ऋण) में ₹ 1261.50 करोड़, पूँजी अनुभाग के अंतर्गत आठ अनुदानों और एक विनियोग में ₹ 519.30 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप था, जो पाँच अनुदानों के अंतर्गत ₹ 188.53 करोड़ की अधिकता के साथ ऑफसेट था ।

2.3 वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन

2.3.1 आवंटन प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

अनुमानों को तैयार करते समय, विभाग को बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की गुंजाईश को न्यूनतम करने के उद्देश्य के साथ पिछले निष्पादन, विभिन्न स्कीमों के प्रतिपादन/कार्यान्वयन के स्तर, योजनाओं के कार्यान्वयन में कार्यान्वयन एजेंसियों की संस्थागत योग्यता, व्यय करने वाली एजेंसियों की व्यय की बाध्यता आदि को ध्यान में रखना चाहिए । वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखों से यह प्रकट हुआ कि 243 मामलों में बचत ₹ 5.00 करोड़ (₹ एक करोड़ केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सी.एस.एस.)/अनुसूचित जाति उप-योजना (एस.सी.एस.पी.) के लिए) या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट 2.1) । ₹ 4321.60 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 2763.46 करोड़ (63.94 प्रतिशत) की बचत 4 अनुदानों और 1 विनियोग से संबंधित ऐसे 22 मामलों में थी जिसमें प्रत्येक मामलों में बचत ₹ 50.00 करोड़ से अधिक की थी जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.2 : ₹ 50 करोड़ और अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विनियोजन की सं. व नाम	वास्तविक अनुदान/विनियोजन	पूरक अनुदान/विनियोजन	कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक खर्च	बचत	प्रतिशत	कारण
राजस्व - दत्तमत								
अनुदान सं.6 शिक्षा								
1.	2202 ए.1(2)(8) (1)- अतिरिक्त विद्यालयी सुविधाएँ	1333.93	0.02	1333.95	1256.72	77.23	5.79	रिक्तियाँ, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, बचत हेतु कदम विभिन्न स्तरों पर एमएसीपी को अंतिम स्म न दिया जा पाना और बिलों का निपटान न किया जाना
अनुदान सं. 7: चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य								
2.	स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय 2210 ए (1)(2)-विद्यालय स्वास्थ्य योजना	114.08	0	114.08	13.35	100.73	88.30	रिक्त पदों का न भरा जाना, सीएनवाई के अंतर्गत प्रस्ताव व एमएसीपी को अंतिम स्म न दिया जा पाना
अनुदान सं. 8: सामाजिक कल्याण								
3.	यातायात विभाग 3055 डी 3 (3)(2)-क्लस्टर बसों की कमी की पूर्ति करने हेतु प्रतिपूर्ति	150.00	0	150.00	30.00	120.00	80.00	योजना की धीमी प्रगति
अनुदान सं. 11: शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग								
4.	शहरी विकास विभाग 2215 ए 6(1)(1)(1)-अनधिकृत कालोनियों में जल आपूर्ति प्रदान करने हेतु दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	136.00	0	136.00	65.78	70.22	51.63	कम अनुदान का निर्गत किया जाना
5.	2215 ए.6(1)(1)(5)- दि.ज.बो. को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में सीवर व जलापूर्ति विकास हेतु सहायता अनुदान	70.00	0	70.00	0	70.00	100.00	अनुदान निर्गत न किया जाना
6.	2215 ए.6(2)(1)(5)- दि.ज.बो. को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत तीन प्रमुख नालों के साथ अवरोधक सीवर हेतु सहायता अनुदान	350.56	0	350.56	225.00	125.56	35.82	कम अनुदान निर्गत किया जाना
7.	2216 ए.7(1)(1)(2)- दि.न.नि. (स्लम) को कमजोर वगों हेतु आवासों के लिए निर्माण अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	250.00	0	250.00	100.00	150.00	60.00	कम अनुदान निर्गत किया जाना
8.	2217 ए.8(2)(1)(26)- नगरीय सुधारों हेतु सहायता अनुदान	300.93	0	300.93	0	300.93	100.00	अनुदानों का निर्गत न किया जाना
9.	2217 ए.8(3)(1)(6)- अनधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करना	450.50	0	450.50	350.19	100.31	22.27	योजना की धीमी प्रगति
10.	3054 ए.12(1)(1)(2) -	250.00	0	250.00	184.63	65.37	26.15	योजना की धीमी प्रगति

अध्याय 2 : वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

	शहरी सड़कें							
11.	3054 ए.12(1)(1)(2) (5)- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	100.00	0	100.00	49.40	50.60	50.60	योजना की धीमी प्रगति
12.	बिजली विभाग 2801 ई 2(2)(1)(5)- सीपीएसयू के देयताओं के प्रति दि.बि.नि.लि. को सहायता अनुदान	430.00	0	430.00	362.35	67.65	15.73	कम अनुदान का निर्गत किया जाना
पूँजी - दत्तमत								
अनुदान सं. 8 : सामाजिक कल्याण								
13.	यातायात विभाग 5055 डीडी 1(1)(4) नए बस अड्डे हेतु भूमि का क्रय	80.00	0	80.00	18.75	61.25	76.56	कार्य की धीमी प्रगति
14.	5055 डीडी (2)(4)- जेएनएनयूआरएन हेतु दिल्ली यातायात निगम को इक्विटी पूँजी	370.00	0	370.00	201.00	169.00	45.68	कार्य की धीमी प्रगति
15.	5055 डीडी.1(3)(1)-विद्युत ट्रॉली बसों यातायात का वैकल्पिक साधन का आरंभ	250.00	0	250.00	9.25	240.75	96.70	कार्य की धीमी प्रगति
अनुदान सं. 11 : शहरी विकास व लोक निमाण विभाग								
16.	शहरी विकास विभाग 7055 एए 9(1)(1)(1)- जेएनएनयूआरएन के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु दि.न.नि. को अनुदान	0	50.60	50.60	0	50.60	100.00	कार्यान्वित करने वाली एजेसी से प्रस्ताव प्राप्त न होना
17.	लोक निर्माण विभाग 4210 बीबी 5(1)(1)(1) (1) अस्पतालों हेतु भवनों का निर्माण	150.25	0	150.25	39.67	110.58	73.60	कार्य की धीमी प्रगति
18.	5054 बीबी.11(1)(1)(4)- केन्द्रीय सड़क निधि योजनाएँ	50.00	0	50.00	0	50.00	100.00	योजना का क्रियान्वित न किया जाना
19.	5054 बीबी 11(1)(1)(8)- बीआरटी कारीडोर खेल	200.00	0	200.00	0.06	199.94	99.97	कार्य की धीमी प्रगति
20.	बिजली विभाग 6800 ईई 1(3)(3)(1)-प्रगति विद्युत परियोजना-III बवाना को ऋण	500.00	0	500.00	200.00	300.00	60.00	कम ऋण निर्गत किया जाना
21.	4801 ईई.2(1)(1)(7)- बिजली स्थिरीकरण निधियों हेतु दि.बि.नि.लि. हेतु इक्विटी	200.00	0	200.00	0	200.00	100.00	रियायत का निर्गत न किया जाना
सार्वजनिक ऋण भारत								
22.	सार्वजनिक ऋण (भारत) 2049 ए1(1)(1) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश योजना स्कीमों हेतु ऋणों पर ब्याज	3000.00	0	3000.00	2917.26	82.74	2.76	भारत सरकार से कम ऋण की प्राप्ति
कुल		8736.25	50.62	8786.87	6023.41	2763.46		

कई कारणों में से बचतों के कुछ कारण थे:

- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ एलोपैथी-विद्यालय स्वास्थ्य योजना हेतु ₹ 114.08 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यद्यपि चाचा नेहरू सेहत योजना (सीएनवाई) के अंतर्गत रिक्त पद न भरे जाने, एमएसीपी और प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण केवल ₹ 13.35 करोड़ का ही व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 100.73 करोड़ की बचत हुई।
- अनधिकृत कॉलोनियों में पीने के पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु किए गए कुल ₹ 136 करोड़ के प्रावधान में से ₹ 70.22 करोड़ की बचत दि.ज.बो. को कम अनुदान निर्गत किए जाने के कारण हुई।
- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में सीवर व जलापूर्ति के विकास हेतु ₹ 70.00 करोड़ का प्रावधान किया गया, यद्यपि दि.ज.बो. को अनुदान निर्गत न किए जाने के कारण कोई प्रगति नहीं की जा सकी और संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया।
- वर्ष 2011-12 के दौरान दि.न.नि. को अनुदान निर्गत न किए जाने के कारण नगरीय सुधार हेतु ₹ 300.93 करोड़ की प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रह गया। इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 दि.न.नि. को कम अनुदान निर्गत किए जाने के कारण ₹ 143.00 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 64.45 करोड़ की बचत हुई।
- वर्ष 2011-12 के दौरान अनधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं हेतु कुल ₹ 450.50 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 100.31 करोड़ (22.27 प्रतिशत) योजना की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रह गया। वर्ष 2010-11 के दौरान इसी योजना के अंतर्गत योजना की धीमी प्रगति के कारण ₹502.00 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 372.66 करोड़ (74.24 प्रतिशत) अप्रयुक्त रह गए।
- जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए दि.न.नि. को शहरी सड़कों के लिए अनुदान हेतु ₹ 100.00 करोड़ का प्रावधान किया गया। ₹ 100.00 करोड़ का प्रावधान में से ₹ 50.60 करोड़ की राशि योजना की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रह गई।
- नए बस अड्डे के लिए भूमि क्रय हेतु ₹ 80 करोड़ का प्रावधान किया गया। यद्यपि योजना की धीमी प्रगति के कारण यातायात विभाग द्वारा ₹ 18.75 करोड़ ही व्यय किए गए जिससे ₹ 61.25 करोड़ की बचत हुई।
- जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु ₹ 50.60 करोड़ का प्रावधान क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात् दि.न.नि. से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण पूर्णतः अप्रयुक्त रह गया।

- अस्पतालों हेतु भवनों के निर्माण के लिए ₹ 150.25 करोड़ का प्रावधान किया गया। यद्यपि लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण ₹ 39.67 करोड़ ही खर्च हुए जिस कारण ₹ 110.58 करोड़ की बचत हुई ।
- सड़कों व पुलों के निर्माण - सीआरएफ योजना हेतु ₹ 50.00 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान योजना के क्रियान्वयन न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया ।
- दि.वि.नि.लि. को बिजली स्थिरीकरण निधियों हेतु इक्विटी के रूप में किया गया ₹ 200 करोड़ का प्रावधान रियायत निर्गत न किए जाने के कारण पूर्णतः अप्रयुक्त रह गया ।
- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश योजना स्कीमों हेतु ऋणों पर ब्याज हेतु ₹ 3000.00 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 82.74 करोड़ की बचत योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कम ऋण की प्राप्ति के कारण हुई ।

2.3.2 निरंतर बचतें

सामान्य वित्तीय नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक मामलों पर समय-समय पर जारी निर्देशों तथा पिछले वर्षों में किये गये व्यय आदि को ध्यान में रखते हुए अनुमान तालिका तैयार करनी होती है । वर्ष 2007-08 से 2011-12 के विनियोग लेखों की जांच से यह ज्ञात हुआ कि नौ मामलों में ₹ 1.00 करोड़ से भी अधिक की निरंतर बचत हुई जो कुल बजट के 20 प्रतिशत से अधिक है, जो बजट बनाते समय व्यावहारिक आँकड़ों त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन एवं विभागों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही दर्शाता है जिसका ब्यौरा तालिका 2.3 में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.3 : 2007-12 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की शीर्ष सं. व नाम		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कारण
राजस्व - दत्तमत								
अनुदान सं. 3 : न्याय की व्यवस्था								
1.	2014 बी.1(2)(1)-न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय	कु.	17.23	22.45	29.46	25.69	31.67	बचत, प्रमुखतः क्रय प्रस्तावों को समय पर अंतिम रूप न दिए जाने, कम दावों/विलों की प्राप्ति, कम भण्डार मदों के प्रापण, रिक्त पदों को न भरे जाने, वेतन व भत्तों के बकायों का भुगतान न किए जाने के कारण थी।
		ब.	5.09	7.25	8.49	6.50	8.69	
		%	29.54	32.29	28.81	25.30	27.43	
अनुदान सं. 5 : गृह								
1.	2055 जी.1(1)(1)-अपराध विज्ञान प्रयोगशाला	कु.	12.36	11.92	12.36	12.11	16.52	बचत, प्रमुखतः रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दावों की

		ब.	5.86	6.24	2.56	2.85	6.49	प्राप्ति, कम स्टोर मदों के क्रय, कम यात्राएँ व भित्तव्यथी उपायों के कारण थी।
		%	47.41	52.34	20.71	23.53	39.28	
अनुदान सं. 6 : शिक्षा								
1.	2202 ए.1(2)(6) (2)-अन्य व्ययों हेतु सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों को सहायता	कु.	लागू नहीं *	2.46	26.50	12.00	2.50	बचत, प्रमुखतः कन दावों की प्राप्ति के कारण थी।
		ब.	लागू नहीं *	2.09	26.28	11.97	2.14	
		%	लागू नहीं *	84.95	99.16	99.75	85.60	
अनुदान सं. 7 : चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य								
1.	2211 के 1 (3)(1)-शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सीएसएस)	कु.	11.00	13.16	15.00	10.00	10.00	बचत, प्रमुखतः भारत सरकार द्वारा और दि.न.नि. को अनुदान निर्गत न किए जाने के कारण थी।
		ब.	3.03	10.83	12.22	2.04	7.45	
		%	27.55	82	81.47	20.40	74.50	
अनुदान सं. 11 : शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग								
1.	2217 ए.8(2)(1) (19)-जेजे क्लस्टरों और अनधिकृत कॉलोनियों में स्वच्छता हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान (वाईएपी-II)	कु.	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	बचत, प्रमुखतः अनुदान निर्गत न किए जाने, क्रियान्वयक अभिकरण अर्थात् दि.न.नि. से प्रस्ताव/अनुरोध के प्राप्त न होने के कारण हुई।
		ब.	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.	2217 ए.8(2)(1)(26)-नागरिक सुधारों हेतु सहायता अनुदान	कु.	लागू नहीं *	198.71	201.93	207.45	300.93	बचत, प्रमुखतः योजना के अंतर्गत दि.न.नि. को अनुदान कम या नहीं निर्गत किए जाने के कारण हुई।
		ब.	लागू नहीं *	198.71	198.93	64.45	300.93	
		%	लागू नहीं *	100.00	98.51	31.06	100.00	
पूँजी - दत्तमत								
अनुदान सं. 8 : समाज कल्याण								
1.	5055 डीडी.1(3)(1)-विद्युत ट्रॉली बसों-वैकल्पिक परिवहन का आरंभ	कु.	250.00	120.00	60.00	10.00	250.00	बचत, प्रमुखतः योजना के क्रियान्वित न किए जाने के कारण थी।
		ब.	169.74	46.71	30.00	10.00	240.75	
		%	67.90	38.93	50.00	100.00	96.30	
अनुदान सं. 9 : उद्योग								
1.	4851 एए 1(1)(1)-इंडस्ट्रियल एरस्टेट फ्लैट्टेड फेक्ट्रीज काम्प्लेक्स की नागरिक सेवाओं का उन्नयन, सुधार और उनका संचालन	कु.	15.00	10.00	1.10	6.82	5.00	बचत, प्रमुखतः योजना के क्रियान्वयन न किए जाने व कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
		ब.	15.00	9.00	1.10	5.55	4.75	
		%	100.00	90.00	100.00	81.38	95.00	
अनुदान सं. 11 : शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग								
1.	4202बीवी.4(1)(4)(2)-दिल्ली सरकार द्वारा अनुदानिक कॉलेजों के भवनों का निर्माण	कु.	9.75	39.90	60.00	40.00	35.00	बचत, प्रमुखतः समय पर अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से हुई कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
		ब.	6.90	29.00	14.59	8.16	23.32	
		%	70.76	72.68	24.31	20.40	66.62	

कु - कुल प्रावधान (मूल + पूरक + पुनर्विनियोजन), ब-बचतें, % -प्रतिशत

*योजना का आरंभ प्रभावी स्म से 2008-09 से हुआ और 2007-08 के दौरान यह संचालन में नहीं थी।

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि उप-शीर्षक 2217 ए 8(2)(1)(19)-दि.न.नि. को जेजे क्लस्टर्स और अनधिकृत कॉलोनियों में स्वच्छता हेतु सहायता अनुदान (वार्ड एपी-2) के अंतर्गत 2007-08 से 2011-12 की अवधि में सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। यह भी कि उप-शीर्षक 2217 ए 8(2)(1)(26)-वर्ष 2008-09 और 2011-12 के दौरान नागरिक सुधारों हेतु सहायता अनुदान और उपशीर्षक 4851 एए 1(1)(1)-इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लैटेड फैंक्ट्रीज़ कांफ्लैक्स नागरिक सेवाओं पर उन्नयन, सुधार व नागरिक सेवाओं के प्रबंध के अंतर्गत वर्ष 2007-08 और 2009-10 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। इस प्रकार इन शीर्षकों के सम्बन्ध में बजटीय अनुमानों का पुनरावलोकन किए जाने की आवश्यकता थी।

न्याय की व्यवस्था, गृह और सामाजिक कल्याण-अनुदानों के अन्तर्गत निरंतर बचतें हुईं। वर्ष 2011-12 बजट में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों, अपराधशास्त्र प्रयोगशालाओं और वैकल्पिक परिवहन-वैद्युत ट्रॉली बसों के आरंभ हेतु क्रमशः ₹ 31.67 करोड़, ₹ 16.22 करोड़ और ₹ 250.00 करोड़ प्रदान किए गए, यद्यपि क्रमशः ₹ 8.69 करोड़ (27.43 प्रतिशत), ₹ 6.49 करोड़ (39.28 प्रतिशत) और ₹ 240.75 करोड़ (96.30 प्रतिशत) का उपयोग निम्न कारणों से नहीं हुआ- (अ) समय पर क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान न दिए जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति कम स्टोर मदों का प्रापण, रिक्त पदों का न भरा जाना न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में वेतन व भत्तों के बकायों का भुगतान न होना, (ब) रिक्त पदों का न भरा जाना, कम दावों की प्राप्ति, कम स्टोर मदों का क्रय, कम यात्राएं अपराधशास्त्र प्रयोगशाला में मितव्ययी उपायों और (स) यातायात विभाग द्वारा योजना का क्रियान्वयन न किया जाना था।

इसके अतिरिक्त 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान अनुदान सं.-6 शिक्षा के अंतर्गत उप शीर्षक 2202 ए 1(2)(6)(2)-सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों को अन्य व्ययों हेतु सहायता के अंतर्गत किए गए ₹ 43.46 करोड़ के कुल विनियोजन/अनुदान में से बचत ₹ 42.48 करोड़ अर्थात् पाँच वर्षों के दौरान कुल बजटीय आवण्टनों के 97.75 प्रतिशत के लगभग थी। इसके अतिरिक्त इन पाँच वर्षों की अवधि के दौरान उपशीर्षक 4851एए 1(1)(1) के अंतर्गत उद्योगों हेतु किए गए ₹ 37.92 करोड़ के कुल विनियोजन/आवण्टन में व्यय न की गई जमा/बचत ₹ 35.40 करोड़ अर्थात् कुल बजट के 93.35 प्रतिशत के लगभग थी। ये दो उदाहरण निधि की आवश्यकता का अधिक अनुमान और व्यय न किए गए प्रावधानों की निरंतरता से चलने, साथ ही साथ, योजना के क्रियान्वयन न होने को रोकने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाने में असमर्थता की ओर संकेत करते हैं।

2.3.3 सम्पूर्ण प्रावधान की बचत

नौ अनुदानों के 42 उपशीर्षकों में विधायिका द्वारा प्राधिकृत सम्पूर्ण प्रावधान वित्त वर्ष 2011-12 की समाप्ति के पूर्व विभागों द्वारा अप्रयुक्त रह गया अथवा सरकारी खातों में वापिस जमा करा दिया गया। सम्पूर्ण प्रावधान की बचत यह संकेत करती है कि आकलन परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जाँच किए बिना ही तैयार किए गए थे। जो प्रमुख योजनाएँ सम्पूर्ण प्रावधानों की बचत के कारण आरंभ नहीं हो सकी अथवा प्रभावित हुई, वे नागरिक सुधारों हेतु सहायता अनुदान (₹ 300.93 करोड़), बिजली विद्युत स्थिरीकरण निधियाँ, दि.वि.क.लि. (₹ 200 करोड़), संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सीवर व जलापूर्ति के विकास हेतु दि.ज.बो. को सहायता अनुदान हेतु विशेष योजना (₹ 70 करोड़), जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु दि.न.नि. को ऋण (₹ 50.60 करोड़) और जिले में व अन्य सड़कें अन्य व्यय-सीआरएफ योजनाएँ (₹ 50 करोड़) थीं। इन उपशीर्षकों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है।

2.3.4 पिछले वर्षों के दौरान प्रावधानों से अधिकता में व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है

भारत के संविधान का उपबंध 205 प्रावधान करता है कि यदि किन्ही सेवाओं हेतु एक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु प्रावधान की गई राशि से अधिकता में व्यय किया गया है, तो अधिकता में किए गए व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा नियमित किया जाए। यद्यपि उपबंध में व्यय के नियमितीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है परंतु परंपरानुसार लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा विनियोजन लेखों पर चर्चा की समाप्ति के बाद अधिकता में व्यय को नियमित किया जाना होता है। हालांकि 2006-07 से 2010-11 की अवधि के लिए लगभग ₹ 47.60 करोड़ के अधिक व्यय को नियमित किया जाना शेष था (परिशिष्ट 2.3)। अधिकता में व्यय जिनका नियमितीकरण शेष था की वर्षवार धनराशि का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.4 पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधान से अधिकता में व्यय जिनका नियमितीकरण शेष था।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	प्रावधानों से अधिकता में व्यय की राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2006-07	7 (38 उप शीर्षक)	9.12	अभी नियमित नहीं
2007-08	5 (30 उप शीर्षक)	11.55	-वही -
2008-09	5 (29 उप शीर्षक)	17.35	-वही -
2009-10	3 (3 उप शीर्षक)	5.60	-वही -
2010-11	2 (5 उप शीर्षक)	3.98	-वही -
कुल		47.60	

2.3.5 2011-12 के दौरान प्रावधानों से अधिकता में व्यय जिनका नियमितीकरण शेष है:

वर्ष 2011-12 के लिए शीर्षवार विनियोजन लेखों में यह पाया गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान प्रावधानों से अधिकता में व्यय का कोई मामला नहीं था, जिसका नियमितीकरण शेष हो ।

2.3.6 अनावश्यक पूरक प्रावधान

पूरक अनुदान को प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध रहने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए । पूरक माँग का चुनाव असामान्य और अत्यावश्यक मामलों में ही करना चाहिए ।

वर्ष 2011-12 के दौरान विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की आशंका से 31 उप शीर्षों के अन्तर्गत लगभग ₹ 118.48 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया यद्यपि अन्तिम व्यय आरंभिक अनुदान/विनियोग से भी कम था (परिशिष्ट 2.4) । पूरक अनुदान के अप्रयुक्त रह जाने हेतु मुख्य कारण मशीनरी व उपकरण के क्रय हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना, प्रस्ताव प्राप्त न होना अथवा क्रियान्वयन एजेन्सी से कम माँग होना, कम अनुदान निर्गत किया जाना और रिक्त पदों को न भरा जाना थे बताए गए निम्न मामलों में अनावश्यक पूरक अनुदानों में विभागों के विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है:

- (i) अनुदान सं. 6-अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु शिक्षा के लिए ₹ 9.50 करोड़ का मूल प्रावधान किया गया था, जिसमें से संस्थान द्वारा ₹ 7.22 करोड़ का व्यय किया गया जिससे ₹ 2.28 करोड़ की बचत हुई । यद्यपि योजना व्यय हेतु पूरक अनुदान के रूप में ₹ 2.50 करोड़ की धनराशि प्राप्त की गई । परन्तु सम्पूर्ण पूरक अनुदान समय से क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया ।
- (ii) अनुदान सं. 7-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ₹ 32.00 करोड़ का मूल प्रावधान था, जिसमें से भगवान महावीर अस्पताल द्वारा ₹ 29.24 करोड़ का व्यय किया गया जिससे ₹ 2.76 करोड़ की बचत हुई । हालांकि आपूर्ति सामग्री व वेतन की अदायगी और गैर योजना सम्बन्धित व्यय हेतु पूरक अनुदान के रूप में ₹ 5.74 करोड़ प्राप्त किए गए । परन्तु यह सम्पूर्ण पूरक अनुदान रिक्त पद न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति और कम मशीनरी और उपकरण के प्रापण के कारण अप्रयुक्त रह गया ।
- (iii) इसी अनुदान के अंतर्गत लोक नायक चिकित्सालय द्वारा आपूर्तियों व सामग्री वेतन अदायगी के योजना व्यय और योजना संबन्धित कार्यालय व्यय हेतु पूरक अनुदान के रूप में ₹ 6.45 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई । हालांकि सम्पूर्ण

पूरक अनुदान रिक्त पद न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम स्टोर मदों के क्रय और कम लाभार्थी संख्या के कारण अप्रयुक्त रह गया। इसके अतिरिक्त ₹ 237.22 करोड़ के कुल प्रावधान में ₹ 7.67 करोड़ की बचत हुई थी।

- (iv) अनुदान संख्या 8-समाज कल्याण के अंतर्गत अ.जा./अ.जा.जा./अ.पि.व. और अन्य अल्पसंख्यक छात्रों हेतु योग्यता छात्रवृत्ति-कक्षा I से XII हेतु ₹ 40.23 करोड़ के मूल प्रावधान में से केवल ₹ 36.02 करोड़ का व्यय हुआ जिससे 4.21 करोड़ की बचत हुई। हालांकि विभाग ने अनुमानित अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु ₹ 6.77 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त किया, परन्तु सम्पूर्ण पूरक अनुदान योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों से कम माँग के कारण अप्रयुक्त रह गया।
- (v) अनुदान संख्या 11-शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु मूल रूप से कोई प्रावधान नहीं था परन्तु दि.न.नि. के लिए पूरक अनुदान के रूप में ₹ 50.60 करोड़ का प्रावधान किया गया हालांकि कार्यान्वयन ऐजन्सी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण पूरक अनुदान अप्रयुक्त रह गया।

इस प्रकार उपरोक्त मामलों में सम्पूर्ण पूरक अनुदान अप्रयुक्त रह गया जो नियोजन व बजटीकरण में कमियों की ओर संकेत करता है।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई जहाँ बचत संभावित हो, से एक अन्य इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, अनुदान के भीतर ही निधियों का स्थानान्तरण है। निम्न कुछ मामलों में पुनर्विनियोजन को अनावश्यक पाया गया। विभाग अपने विद्यमान अनुदानों का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए थे। 40 उपशीर्षों के अंतर्गत ₹ 211.95 करोड़ का संचयी अनुपयोग हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में बताया गया है। इन बचतों के लिए प्रमुख कारण थे:

- (i) अनुदान सं. 2-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत उपशीर्ष लोकायुक्त (भारित) के अंतर्गत अधिक बिलों का अनुमान कर ₹ 0.22 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोग किया गया, हालांकि कम दावों की प्राप्ति के कारण ₹ 1.41 करोड़ की बचत हुई।
- (ii) अनुदान सं. 3-न्याय का प्रबंध के अंतर्गत ₹ 5.97 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोजन बकायों की अदायगी और उपशीर्ष सत्र न्यायालय (भारित) के अंतर्गत अतिरिक्त दावों की पूर्ति का अनुमान करते हुए किया गया, परन्तु संशोधित सुनिश्चित रोजगार प्रगति (एमएसीपी) योजना को अंतिम रूप न दिए जाने और कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण ₹ 27.67 करोड़ की बचत हुई।

- (iii) अनुदान सं. 4-वित्त के अंतर्गत वेट के पंजीकृत डीलरों की संख्या में वृद्धि और एनईजीपी(एमएमपीसीटी-राज्य अंश) के अंतर्गत व्यवसायिक कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण हेतु उप शीर्ष मिशन मोड परियोजना हेतु व्यापार एवं कर के अंतर्गत अतिरिक्त दावों की पूर्ति का अनुमान कर ₹ 3.34 करोड़ की धनराशि पुनर्विनियोजित की गयी परन्तु ₹ 3.34 करोड़ अप्रयुक्त रही क्योंकि यह स्वीकृति वित्त वर्ष के अंत में प्राप्त हुई थी ।
- (iv) अनुदान सं. 6-शिक्षा के अंतर्गत उपशीर्ष पॉलिटेक्निक निर्देशन और प्रशा. के अंतर्गत रिक्तियों को भरने के लिए ₹ 2.37 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोजन किया गया परन्तु एम ए सी पी योजना को अंतिम रूप न दिए जाने, कर्मचारी वर्ग के स्थानान्तरण और कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण ₹ 3.44 करोड़ का अनुपयोग हुआ ।
- (v) अनुदान सं. 7-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत उपशीर्ष गो.ब.पंत चिकित्सालय के अधिक बिलों और अधिक भण्डार मदों के प्रापण का अनुमान कर ₹ 3.69 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया परन्तु रिक्त पदों, क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जा पाने के कारण ₹ 10.85 करोड़ का गैर-उपयोग हुआ ।
- (vi) अनुदान सं. 8-सामाजिक कल्याण के अंतर्गत केन्द्र-प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) में अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम उप शीर्ष के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1.25 करोड़ की निधि का विनियोजन हुआ परन्तु ₹ 4.69 करोड़ अप्रयुक्त रह गए क्योंकि निधियों के निर्गम हेतु स्वीकृति नहीं मिली ।
- (vii) अनुदान सं. 8-सामाजिक कल्याण के अंतर्गत ₹ 0.99 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोजन हुआ परन्तु वित्त विभाग से तैरने वाली जेटियों के क्रय हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण ₹ 1.05 करोड़ अप्रयुक्त रह गए ।
- (viii) अनुदान सं. 9-उद्योग के अंतर्गत ₹ 1.18 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोजन गरीबी रेखा से नीचे पर केन्द्रित होने के साथ नागरिक आपूर्ति योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने हेतु किया गया परन्तु ₹ 3.08 करोड़ अप्रयुक्त रह गए क्योंकि स्वीकृति समय से प्राप्त नहीं हुई ।
- (ix) अनुदान सं. 11-शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग की यमुना एक्शन प्लान-II के अंतर्गत जे जे कलस्टर्स और अनधिकृत कॉलोनियों में स्वच्छता हेतु दि.न.नि. को ₹ 8.99 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोजन किया गया, परन्तु कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण ₹ 10 करोड़ का उपयोग नहीं हुआ ।

- (x) अनुदान सं. 11-शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत उप शीर्ष स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत अतिरिक्त बिलों/दावों और अधिक भण्डार मदों के क्रय का अनुमान करके ₹ 1.44 करोड़ की धनराशि पुनर्विनियोजित की गई, परंतु पिछले वर्षों के व्यय न किए गए अधिशेषों के समायोजन के कारण ₹ 3.21 करोड़ की धनराशि उपयोग नहीं हुई ।
- (xi) अनुदान सं. 8-सामाजिक कल्याण पूँजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत उप शीर्ष शिक्षा के मिडिल/माध्यमिक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण के अन्तर्गत ₹ 0.47 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया परंतु योजना के क्रियान्वित न किए जाने के कारण ₹ 2.47 करोड़ का गैर उपयोग हुआ ।

इस प्रकार अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन अपर्याप्त बजटीय व्यवस्था की ओर संकेत करता है ।

2.3.8 पर्याप्त अभ्यर्पण

दस उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.6) के सम्बन्ध में ₹ 61.29 करोड़ के (कुल प्रावधान के 40 प्रतिशत) पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए, जिनमें से चार उप-शीर्षों में योजना के कार्यान्वित न होने और राजस्व सचिव को योजना के स्थानांतरण के कारण कुल ₹ 32.63 करोड़ के 100 प्रतिशत अनुदान का अभ्यर्पण किया गया ।

अनुदान सं. 7-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और अनुदान सं. 9-उद्योग के अन्तर्गत उपशीर्षों 4210 एनएन.1(1)(1)(1)(1)-डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर चिकित्सालय में नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना और 4851एए1(1)(1) -इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लैटेड फैक्ट्रीज काम्प्लैक्स की नागरिक सेवाओं के संचालन, उन्नयन, सुधार के अंतर्गत क्रमशः कुल ₹ 16.32 करोड़ और ₹ 4.75 करोड़ के पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए । इन अभ्यर्पणों का कारण प्रमुखतः योजना/कार्य की धीमी प्रगति बताया गया ।

2.3.9 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56(2) यह अनुबंध करता है कि जिन बचतों व प्रावधानों को लाभपूर्ण ढंग से उपयोग में न लाया जा सके, उन्हें जैसे ही इनका पूर्वानुमान कर लिया जाए, वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बगैर सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए । इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की संभावना को न्यूनतम करना है । 2011-12 के अंत में तीन अनुदान और एक विनियोजन थे जिनमें बचतें हुई परन्तु संबंधित विभाग ने अभ्यर्पण नहीं किया । इन मामलों में ₹ 258.89 करोड़ (कुल बचतों अर्थात् ₹ 1592.27 करोड़ का 16.26 प्रतिशत) की राशि सम्मिलित थी (परिशिष्ट-2.7) ।

इसी प्रकार 9 अनुदानों और 1 विनियोजन (प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ व अधिक की बचतें दर्शाई गई हैं) में ₹ 1331.60 करोड़ की बचतों में से ₹ 1051.02 करोड़ (कुल बचतों का 78.93 प्रतिशत) को अभ्यर्पित नहीं किया गया था, जिनका विवरण (परिशिष्ट 2.8) में दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त 22 मामलों में (₹ 1 करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण) मार्च 2012 के अंतिम कार्यदिवस में ₹ 272.23 करोड़ (परिशिष्ट 2.9) का अभ्यर्पण किया गया जिससे अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के अतिरिक्त यह इंगित होता है कि इन निधियों का अन्य विकास प्रयोजन में भी प्रयोग नहीं किया जा सका था ।

2.3.10 अव्यवाहरिक बजट व्यवस्था

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 48(2) यह अनुबंध करता है कि मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ पिछले वर्षों के दौरान संवितरणों की प्रवृत्तियों और अन्य प्रमुख घटकों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मितव्ययिता हेतु निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपना अनुमान तैयार करना चाहिए । 2011-12 के लिए अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सी.एस.एस. और एस सी एस पी योजना के विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया परन्तु 10 अनुदानों/विनियोजनों के 27 उपशीर्षों में ₹ 10.10 करोड़ (परिशिष्ट 2.10) के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गए जिससे विधान सभा द्वारा बजट प्रावधानों को पारित किए जाने का मूल उद्देश्य ही निष्फल सिद्ध हो जाता है, जो यह संकेत करता है कि बजट अनुमान परियोजनाओं व योजनाओं की पर्याप्त पूर्व बजटीय जाँच करने के पश्चात नहीं बनाए जाते । निधियों के गैर-उपयोग हेतु प्रमुख कारण भारत सरकार से निधियों का प्राप्त न होना और योजनाओं का क्रियान्वयन न होना बताया गया ।

2011-12 के दौरान बजट में सी एस एस हेतु ₹ 190.00 करोड़ का प्रावधान किया गया, हालांकि वर्ष 2011-12 के दौरान हुई प्राप्ति ₹ 145.09 करोड़ और योजना के क्रियान्वयन में हुआ व्यय ₹ 159.42 करोड़ था । क्रियान्वयन एजेन्सियों के पास 31 मार्च 2012 को बचे ₹ 69.07 करोड़ का संचित अधिशेष सरकार को अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

2.3.11 व्यय का द्रुतप्रवाह

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56(3) विशेषतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में, व्यय के द्रुतप्रवाह की मनाही करता है और यह निर्धारित करता है कि इसे वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा । इसके विपरीत विभाग द्वारा निम्न 19 उपशीर्षों के अंतर्गत मार्च 2012 के महीने में किया गया व्यय कुल व्यय के 24.30 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच था, जो कि तालिका 2.5 में दिखाया गया है:

तालिका 2.5 वर्ष 2011-12 की समाप्ति में व्यय का द्रुतप्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या व नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	2012 की अंतिम तिमाही में किया गया व्यय		मार्च 2012 में किया गया व्यय	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1.	02. सामान्य प्रशासन	2052 सी.1(1)(1)(9)- प्रमुख सचिवालय-प्रकाशन	0.30	0.29	0.29	100.00	0.29	100.00
2.	03. न्याय की व्यवस्था	2014 ई.1(2)(5)- दिल्ली विवाद निस्तारण समिति को सहायता अनुदान	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
3.	04. वित्त	4059 एफएफ.1(1)(1)(1)- व्यापार व कर एनेक्स भवन	1.00	0.41	0.41	100.00	0.41	100.00
4.	05. गृह	2056 ए.1(1)(1)(8)- कारागार-निर्देशन व प्रशासन-कारागार स्था.- मोटर वाहन	0.10	0.10	0.10	100.00	0.10	100.00
5.	06. शिक्षा	2204 ए.2(3)(3)- खेल परिसर, खेल-कूद कम्प्लेक्स, तरणतालौ इत्यादि का विकास	0.02	0.02	0.02	100.00	0.02	100.00
6.		2203 बी 1(5)(18)- दिल्ली फार्मास्यूटिकल साईंस व शोध संस्थान को सहायता अनुदान	1.25	1.25	1.25	100.00	1.25	100.00
7.		2202 जे.1(1)(1)(3)- महाविद्यालय जाने वाली छात्राओं हेतु छात्रावास के निर्माण के लिए महाविद्यालयों को सहायता अनुदान	0.23	0.23	0.23	100.00	0.23	100.00
8.	07. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210 ए.1(1)(4)(6)- दिल्ली राजकीय कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान	65.00	65.00	21.75	33.46	16.25	25.00

अध्याय 2 : वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

9.		2210 ए.1(1)(5)(6)- स्वास्थ्य प्रयोजन हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान	107.30	107.30	48.38	45.09	48.38	45.09
10.		2210 बी.1(1)(1)(1)(8)- लोक नायक चिकित्सालय - आपूर्तियाँ व सामग्री	43.00	42.83	17.44	40.72	10.41	24.30
11.		2210 एफ.1(1)(1)(1)(5)- गुरु तेग बहादुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय-मशीनरी व उपकरण	38.50	38.47	15.12	39.29	10.27	26.70
12.	08. समाज कल्याण	2235 ए.2(1)(3)(10)- वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तारण)	490.00	470.99	122.96	26.10	115.99	24.62
13.		5055 डीडी.1(2)(4)- जेएनएनयूआरएम हेतु दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूँजी	241.00	201.00	112.23	55.83	112.23	55.83
14.		7055 डीडी.4(2)(3)- आई एसबीटी हेतु डीटीटीडीसी को ऋण	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
15.	11. शहरी विकास एवं जन निर्माण विभाग	2202 ए4(1)(1)(2)(1)- सहायता अनुदान-नई दिल्ली नगर परिषद	26.02	26.02	19.52	75.00	19.52	75.00
16.		2202 ए4(2)(1)(1)(1) माध्यमिक शिक्षा हेतु एन.डी.एम.सी. को सहायता अनुदान	32.09	32.09	24.07	75.00	24.07	75.00
17.		2202 ए.6(2)(1)(5)- जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं के अंतर्गत प्रमुख नालियों के ऊपर अंतर्राधी सीवर हेतु दि.ज.बो. को स.अनु.	225.00	207.50	163.85	78.96	154.35	74.38

18.	2216 ए.1(1)(1)(2)- दि.न.नि.(गंदी बस्तियाँ) को कमजोर वर्गों हेतु मकान बनाने के लिए अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
19.	2216 ए.7(1)(1)(3)- कमजोर वर्गों हेतु आवास निर्माण हेतु डीएसआई डीसी को अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	450.00	450.00	349.69	77.70	302.46	67.21
	कुल	1841.81	1764.50	1018.31		937.23	

अंतिम तिमाही में हुए आवश्यकता से अधिक उच्चतर व्यय का कारण सरकार द्वारा दिए जाने की प्रतीक्षा है ।

2.4 आकस्मिक निधि से अग्रिम

आकस्मिक निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आवश्यक प्रकृति के ऐसे व्यय हेतु दिया जाना जिनका विधायिका से प्राधिकृत किए जाने तक स्थगन अवांछनीय होगा । वर्ष 2011-12 के दौरान दिल्ली के रा.रा.क्षे.की सरकार के विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे कोई मामले नहीं पाए गए ।

2.5 वसूलियों के समायोजन से व्यय में कमी

विधायिका को प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की माँगे सकल व्यय के लिए होती हैं, जिनमें क्रेडिट और वसूलियाँ सम्मिलित होती है, जो व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित कर ली जाती हैं । प्रत्याशित वसूलियाँ और क्रेडिटों को बजट आकलनों में पृथक दिखाया गया है । 2011-12 के दौरान ऐसी वसूलियों को ₹ शून्य पूर्वानुमानित किया गया । यद्यपि वर्ष के दौरान वास्तविक वसूलियाँ ₹ 55.98 करोड़ थीं । पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुमानित व वास्तविक वसूलियों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 2.6: व्यय में कमी से वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित वसूलियाँ	वास्तविक वसूलियाँ	अधिकता (+) कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत अधिकता (+) कमी (-)
2011-12	-	55.98	(+) 55.98	(+) 100.00
2010-11	-	38.85	(+) 38.85	(+) 100.00
2009-10	-	35.89	(+) 35.89	(+) 100.00
2008-09	16.67	27.92	(+) 11.25	(+) 67.49
2007-08	17.49	58.86	(+) 41.37	(+) 236.54

2.6 रिक्त पदों हेतु अनावश्यक प्रावधान

वित्त विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा जारी अनुदेशों के तहत एक वर्ष या उससे अधिक रिक्त पदों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए और इसी प्रकार उन पदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं रखा जाना चाहिए जो कि अस्थगित है। जबकि अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग द्वारा बजट पूर्वानुमान में निधियों का प्रावधान उपरोक्त नियम के विरुद्ध किया गया जिससे कि निम्नलिखित विभागों में रिक्त पदों के प्रावधान के कारण निम्न प्रकार बचतें हुईं:

तालिका 2.7: खाली पदों के लिए अनावश्यक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	विभाग	मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	विवरण	कुल अनुदान	बचतें/ पुनर्विनियोजन
राजस्व-भारित						
1	अनुदान सं. 3: न्याय प्रशासन	उच्च न्यायालय	2014 ए.1(1)(1)(1)	निर्देशन और प्रशासन-वेतन	103.86	3.63
राजस्व-दत्तमत						
2	अनुदान सं. 3: न्याय प्रशासन	सिविल एवं सत्र न्यायालय	2014 बी.1(2)(1)(1)	आपराधिक न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय-वेतन	31.67	1.50
3	अनुदान सं. 4: वित्त	प्रधान लेखा कार्यालय	2054 ए.1(1)(1)(1)	कोष एवं लेखा प्रशासन-लेखा निदेशालय-वेतन	31.31	3.20
4		आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशालय	2016 बी.1(1)(1)(1)	लेखापरीक्षा-सिविल ऑडिट और लेखा कार्यालय-वेतन	8.12	1.20
5	अनुदान सं. 5: गृह	केन्द्रीय कारागार	2056 ए.1(1)(1)(1)	कारागार-निर्देशन और प्रशासन-वेतन	114.79	4.00
6		दिल्ली अग्निशमन सेवा	2070 सी.1(1)(2)(1)	अन्य प्रशासनिक सेवाएं सुरक्षा व नियंत्रण	109.17	6.45
7	अनुदान सं. 6: शिक्षा	शिक्षा निदेशालय	2202 ए.1(2)(6)(1)	गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - सरकारी विद्यालय को कर्मचारियों के वेतन हेतु सहायता अनुदान	340.00	28.00
8			2202 ए.1(2)(8)(1)(1)	अन्य व्यय -अतिरिक्त विद्यालय सेवाएं वेतन	1333.95	91.00
9			2202 ए.1(3)(2)(3)(1)	अन्य व्यय- विद्यमान सरकारी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक कक्षाओं की व्यवस्था- वेतन	103.50	13.09

10			2202 ए.1(4)(4)(2)(1)	अन्य व्यय-विद्यालयों में योग कक्षाओं हेतु योजना-वेतन	30.16	1.85
11		तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण निदेशालय	2203 बी.1(4)(1)(1)	पॉलीटेक्निक-निर्देशन व प्रशासन-वेतन	51.84	1.23
12		एन.सी.सी. निदेशालय	2204 डी.1(1)(1)(1)	खेलकूद और युवा सेवाएं-एन.सी.सी., ए.सी.सी.-वेतन	12.13	1.56
13		शासकीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय जाफरपुर	2203 के.1(1)(1)(1)	तकनीकी शिक्षा-शासकीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जाफरपुर-वेतन	4.00	1.35
14		जी.बी.पंत प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	2203 एल.1(1)(1)(1)	तकनीकी शिक्षा-जी.बी.पंत प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, ओखला	8.97	2.11
15	अनुदान सं.7: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय	2210 ए.1(1)(4)(1)(1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-सरकारी डिस्पेंसरी-वेतन	120.19	7.96
16		अरुणा आसफ अली शासकीय चिकित्सालय, (सिविल हॉस्पिटल)	2210 डी.1(1)(1)(1) (1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-अरुणा आसफ अली शासकीय चिकित्सालय (सिविल चिकित्सालय)-वेतन	33.47	4.75
17		दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय	2210 ई.1(1)(1)(1) (1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय - चिकित्सालय प्रशा-वेतन	160.48	4.94
18		गुरु तेग बहादुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय	2210 एफ.1(1)(1)(1) (1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-गुरु तेग बहादुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय-वेतन	224.20	3.75
19		मौलाना आज़ाद चिकित्सा महाविद्यालय	2210 एच.1(1)(1)(1)(5)(1)	शिक्षा-चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, गीता कॉलोनी-वेतन	40.00	3.00
20		संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय	2210 एल.1(1)(1)(1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ -संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय-वेतन	67.54	4.87
21		डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर चिकित्सालय	2210 एन.1(1)(1)(1) (1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर चिकित्सालय-वेतन	83.06	1.30
22		भगवान महावीर चिकित्सालय	2210 वी.1(1)(1)(1)(1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-भगवान महावीर चिकित्सालय-वेतन	37.74	11.01

अध्याय 2 : वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

23		मालवीय नगर चिकित्सालय	2210 डब्ल्यू.1(1)(1)(1) (1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ मालवीय नगर चिकित्सालय-वेतन	22.89	2.30
24		आचार्य भिक्षु चिकित्सालय	2210 एक्स.1(1)(1)(1) (1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-आचार्य भिक्षु चिकित्सालय-वेतन	26.74	1.22
25		शास्त्री पार्क चिकित्सालय	2210 वाई.1(1)(1)(1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-शास्त्री पार्क चिकित्सालय-वेतन	31.00	1.25
26		लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय	2210 एबी.1(1)(1)(1) (1)	अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय (एससीएसपी)	42.33	1.20
27		राव तुला राम चिकित्सालय	2210 एसी.1(1)(1)(1) (1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-राव तुला राम चिकित्सालय, जाफरपुर-वेतन	36.33.	2.17
28		सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र चिकित्सालय	2210 एजी.1(1)(1)(1) (1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ -सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र चिकित्सालय -वेतन	25.10	1.76
29	अनुवाद सं.8: समाज कल्याण	परिवहन विभाग	2401 डी.1(1)(1)	वाहनों पर कर-संग्रहण शुल्क- वेतन	26.02	1.90
30	अनुदान सं. 9: उद्योग	उद्योग विभाग	2851 ए.2(1)(1)(1)	ग्रामीण एवं लघु उद्योग- निर्देशन और प्रशासन- मुख्यालय स्था.-वेतन	10.37	2.50
31		रोजगार विभाग	2230 बी.1(1)(2)(1)(1)	रोजगार सेवाएं -सामान्य रोजगार कार्यालय-वेतन	5.37	1.09
32	अनुदान सं.10: विकास	विकास विभाग	2403 बी.3(2)(1)(1)	पशुचिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-वेतन	8.08	2.00
33		सहकारिता विभाग	2425 सी.1(1)(1)(1)	सहकारिता-निर्देशन और प्रशासन-मुख्यालय स्था.-वेतन	8.79	1.50
कुल					3293.17	220.64

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि अनुदान सं. 10 - विकास में पिछले तीन वर्षों

अर्थात् 2009-10 से 2011-12 के लिए एक करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें हुई, जैसा कि नीचे दिखाया जा रहा है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	विभाग	मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष	विवरण	मूल अनुदान/कुल अनुदान	बचत/पुनर्विनियोजन
1.	10. विकास	सहकारिता विभाग	2425 सी. 1(1)(1)(1)	सहकारिता-निर्देशन और प्रशासन - मुख्यालय स्था.- वेतन	2009-10 – 8.91 2010-11 – 8.67 2011-12 – 8.79	2009-10 – 1.19 2010-11 – 1.08 2011-12 – 1.50

2.7 अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

(अ) मार्च 2012 में ₹ 983.68 करोड़ की अनुदानों के लिए पूरक माँग हेतु स्वीकृति माँगने के समय कुल पुनरीक्षित बजट (पु.ब.) ₹ 27770 करोड़ हुआ जिसमें ₹ 19065.89 करोड़ का राजस्व व्यय और ₹ 8704.11 करोड़ का पूँजीगत व्यय सम्मिलित है। हालांकि, 2011-12 के लिए अंतिम कुल व्यय ₹ 26458.40 करोड़ (₹ 18013.09 करोड़ और ₹ 8445.31 करोड़ का पूँजीगत व्यय) था। यह दर्शाता है कि पूरक अनुदान की माँग हेतु व्यय का अधिक प्राक्कलन किया गया था।

यह भी पाया गया कि वर्ष 2011-12 में दिल्ली के रा.रा.क्षे. की सरकार ने अनुदानों हेतु पूरक माँग की प्रथम व अंतिम खेप को वित्त वर्ष की समाप्ति पर मार्च 2012 में पारित किया था, जिससे सामान्य वित्तीय नियम के नियम 48 और 56(3) का उल्लंघन हुआ जिससे विभिन्न विभाग या तो सम्पूर्ण पूरक अनुदान का उपयोग नहीं कर सके, अथवा इससे वित्त वर्ष 2011-12 की अंतिम तिमाही/माह में भारी व्यय हुआ।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011-12 के लिए पुनर्विनियोजन आदेशों की जाँच से पता चला कि सभी पुनर्विनियोजन आदेश वित्त विभाग द्वारा वित्त वर्ष के अंतिम कार्यदिवस अर्थात् 31 मार्च 2012 को निर्गत किए गए थे। पुनर्विनियोजन आदेश प्रत्यक्ष तौर पर बजट प्रावधान के ऊपर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु निर्गत किए गए थे। बजट आवंटन के बिना व्यय किया जाना गंभीर अनियमितता थी जिससे बचा जाना चाहिए था।

यह मामला लेखा नियंत्रक को भेजा गया जिसने इसे वित्त विभाग, जीएनसीटीडी को उसकी टिप्पणी हेतु भेजा (जनवरी 2013)।

(ब) वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन नियम 1978 के नियम 8 के अनुसार वस्तु शीर्ष जैसे 51-मोटर वाहन, 52-मशीनरी व उपकरण और 53-प्रमुख कार्य वस्तु श्रेणी-6 (पूँजीगत परिसंपत्तियाँ व अन्य पूँजीगत व्यय का अधिग्रहण) के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं।

यद्यपि वर्ष 2011-12 के लिए लेखा नियंत्रक द्वारा जीएनसीटीडी द्वारा उपलब्ध कराए गए कान्टैक्ट सॉफ्टवेयर में वर्ष 2011-12 के लिए जीएनसीटीडी के वास्तविक व्यय के

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 83 मामलों (परिशिष्ट 2.11) में ₹ 134.71 करोड़ का कुल व्यय उचित ढंग से पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण किए जाने के बजाय त्रुटिपूर्ण ढंग से राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.8: राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत उल्लिखित पूंजीगत प्रकृति के व्यय
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वस्तु शीर्ष	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	51-मोटर वाहन	25	3.56
2.	52-मशीनरी और उपकरण	56	125.70
3.	53-प्रमुख कार्य	02	5.45
	कुल	83	134.71

स्रोत: कान्टैक्ट सॉफ्टवेयर में वर्ष 2011-12 हेतु व्यय के आंकड़े

इस प्रकार, वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 134.71 करोड़ की धनराशि का बढ़ाकर और राजस्व अधिशेष की इतनी ही राशि का घटाकर उल्लेख किया गया था।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान हेतु माँगों के विवरण की समीक्षा से पता चला कि 83 मामलों में ₹ 170.47 करोड़ की धनराशि का त्रुटिपूर्ण ढंग से राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रावधान किया गया जो त्रुटिपूर्ण व भ्रान्तिपूर्ण बजटीकरण की ओर संकेत करता है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर लेखा नियंत्रक ने पुष्टि की कि दिए गए आंकड़े खातों के अनुसार सही हैं और आगे की टिप्पणी हेतु जीएनसीटीडी, ने मामले को वित्त मंत्रालय को भेजा। इसके आगे उत्तर की अभी प्रतीक्षा है (जनवरी 2013)।

(स) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत किए गए निर्देशों (मई 2006) के अनुपालन में सभी मामलों में भारतीय समेकित निधि से किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान में पुनर्विनियोजन से प्रावधान में वृद्धि संसद/विधायिका के पूर्व अनुमोदन के बाद ही की जा सकती है।

वर्ष 2011-12 के लिए पुनर्विनियोजन आदेशों की जाँच में पता चला कि 34 मामलों (परिशिष्ट-2.12) में वस्तु शीर्ष '31 सहायता अनुदान' में पुनर्विनियोजन से प्रावधानों में वृद्धि की गई।

लेखा नियंत्रक से यह पुष्टि करने का अनुरोध किया गया (दिसम्बर 2012) कि उपरोक्त पुनर्विनियोजनों हेतु विधायिका से पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी। उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है (जनवरी 2013)।

(द) इसी प्रकार, पुनर्विनियोजन द्वारा वस्तु शीर्ष 'आर्थिक सहायता' के अन्तर्गत वर्तमान विनियोजन में प्रावधान की वृद्धि हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों (मई 2006) के अनुपालन में यदि वृद्धि संसद/विधायिका द्वारा पूर्व में स्वीकृत किए जा चुके विनियोजन के 10 प्रतिशत या ₹ 10 करोड़ जो भी कम हो, से अधिक है, तो संसद/विधायिका की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

वर्ष 2011-12 हेतु पुनर्विनियोजन आदेशों की जाँच में पता चला कि 4 मामलों में (परिशिष्ट 2.13) वस्तु शीर्ष '33 आर्थिक सहायता' में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में मूल प्रावधान के 10 प्रतिशत अथवा ₹ 10 करोड़ से अधिक वृद्धि की गई थी।

लेखा नियंत्रक से यह पुष्टि करने का अनुरोध किया गया (दिसम्बर 2012) कि उपरोक्त पुनर्विनियोजनों हेतु विधायिका से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया था या नहीं। उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है (जनवरी 2013)।

2.8 अनुदान सं. 5-गृह के पुनरीक्षण का निष्कर्ष

2.8.1 भूमिका

अनुदान सं. 5-'गृह' रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार', केन्द्रीय कारागार, नागरिक सुरक्षा व होम गार्ड्स निदेशालय, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अपराधशास्त्र प्रयोगशाला हेतु अनुदान को सम्मिलित करता है। इन संगठनों का सार नीचे प्रस्तुत है:

अ. केन्द्रीय कारागार

केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ नई दिल्ली को उन कैदियों हेतु स्थापित किया गया है जिन्हें सजा का प्रावधान किया गया है अथवा जिन पर न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। कारागार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है: (i) कारागार अभिरक्षा में भेजे गए बंदियों को सुरक्षा व हिरासत प्रदान करना (ii) कैदियों को सुधारना और पुनर्वासित करना और (iii) कैदियों को मानवीय गरिमा बनाए रखने हेतु मौलिक न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान करना।

ब. नागरिक सुरक्षा व होम गार्ड्स निदेशालय

होम गार्ड्स का गठन 6 दिसम्बर, 1946 में मुम्बई में नागरिक उपद्रव और साम्प्रदायिक दंगों का नियंत्रण करने में पुलिस की सहायता हेतु किया गया था। तत्पश्चात न्याय व्यवस्था बनाए रखने और बाढ़, अग्नि, दुर्भिक्ष इत्यादि जैसे संकटों से निपटने के लिए पुलिस के सहायक के रूप में स्वैच्छिक नागरिक बल का यह विचार कई अन्य राज्यों

जैसे प्रांतीय रक्षा दल, पश्चिम बंगाल ग्राम ब्लॉक और सिविक गार्ड द्वारा अपनाया गया। 1962 में चीन आक्रमण के परिणामस्वरूप केन्द्र ने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने विद्यमान स्वैच्छिक संगठनों को होम गार्ड्स नामक एक अखिल भारतीय बल के रूप में मिलाने की सलाह दी जो अपनी प्रकृति में स्वैच्छिक होगी।

स. दिल्ली अग्निशमन सेवा

दिल्ली अग्निशमन सेवाएँ दिल्ली में रहने वाले लोगों को अग्नि आपदाओं से बचाने और उनकी जानमाल की रक्षा करने, ऊँची इमारतों (15 मीटर से ऊपर), सिनेमा हॉलों, व्यावसायिक काम्प्लेक्सों और सार्वजनिक सम्मेलन के स्थानों इत्यादि को अग्नि सुरक्षा क्लिअरेन्स जारी करना है। दिल्ली अग्निशमन सेवा का प्रशासकीय नियंत्रण (पूर्व में दि.न.नि. के पास) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली अग्निशमन सेवा संचालन के प्रयोजन हेतु पाँच विभागों और नौ उप विभागों में बँटा है। प्रत्येक विभाग एक उप प्रमुख अग्निशमन अधिकारी के अधीन है जिसकी सहायता विभाग अधिकारी और सहायक विभाग अधिकारी करते हैं।

द. अपराधशास्त्र प्रयोगशाला

अपराधशास्त्र प्रयोगशाला (एफएसएल) जाँच एजेंसियों को घटना स्थल पर साक्ष्य अथवा जिन घटनाओं की जाँच आवश्यक हो उनके परीक्षण द्वारा सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। एफएसएल के अपनी प्रयोगशाला में रसायनशास्त्र, भौतिकी, जीवनशास्त्र, प्रलेख, बैलिस्टिक्स, फोटो, डीएनए इकाई जैसे विभाग हैं। प्रयोगशाला की रिपोर्टों का उद्देश्य न्याय की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना है।

2.8.2 बजट व व्यय

अनुदान के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण व अप्रयुक्त प्रावधान की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 2.9 : बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अप्रयुक्त प्रावधान	
		राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
1.	2009-10	225.09	0.50	204.31	0.42	20.78	0.08
2.	2010-11	246.32	0.50	223.77	0.35	22.55	0.15
3.	2011-12	291.54	0.50	245.39	Nil	46.15	0.50

नोट:-उपरोक्त आंकड़ों में 'भारित' विनियोजन व संवितरण सम्मिलित हैं।

2.8.3 विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत भारी बचतें

बाद के चरण में अभ्यर्पण की संभावना को न्यूनीकृत करने के उद्देश्य से अनुमान तैयार करते समय विभाग को पूर्व निष्पादन, योजनाओं के सूत्रीकरण/क्रियान्वयन के चरणों, क्रियान्वयन एजेंसियों की योजना को क्रियान्वित करने की सांस्थानिक क्षमता, व्यय करने वाली एजेंसियों द्वारा व्यय करने में बाध्यताएँ, इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिए।

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 के विनियोजन लेखों की वर्षवार लेखापरीक्षा में पता चला कि विभाग ने विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत अत्यधिक प्रावधान किए जिसके परिणामस्वरूप बड़ी बचतें हुईं। बड़ी बचतें खाली पद न भरे जाने, दावों/बिलों की कम प्राप्ति, नागरिक सुरक्षा स्टॉफ के सचिव राजस्व को स्थानांतरित किए जाने, भण्डारों व मशीनरी के कम क्रय, कम अग्निशमन उपकरणों इत्यादि के क्रय के कारण हुईं। बड़ी बचतें यह दर्शाती हैं कि व्यय अनुमान के अनुसार नहीं हो पाया और ये सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के तन्त्र में कमियों को दर्शाता हैं। 13 मामलों, जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें हुईं, की सूची परिशिष्ट 2.14 में दी गई है।

2.8.4 निरंतर बचतें

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालय/विभाग द्वारा पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्तियाँ और प्रमुख तथ्यों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा मितव्ययिता हेतु समय-समय पर निर्गत किए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए अनुमान तैयार करना चाहिए। वर्ष 2009-10 से 2011-12 हेतु विनियोजन लेखों की संवीक्षा में पता चला कि विभिन्न उपशीर्षों (परिशिष्ट 2.15) के अंतर्गत निरंतर बचतें हुईं, जो अव्यावहारिक बजटीकरण, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और विभाग द्वारा नियम व प्रावधानों के अनुपालन में लापरवाही दर्शाती है। निरंतर बचतों के मुख्य कारण यह थे:

- रिक्त पदों का न भरा जाना और कम दावों/बिलों की प्राप्ति।
- क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
- परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिया जाना।
- भण्डारों अर्थात् मशीनरी और उपकरण की कम खरीद।
- मोटर वाहन का न खरीदा जाना।

2.8.5 विनियोजन लेखा और व्यय के समन्वित मासिक प्रगति प्रतिवेदन में दर्शाये गए आंकड़ों में अन्तर

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 52(5) के अनुसार, विभाग का अध्यक्ष व लेखा अधिकारी विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार की जाने वाले लेखों में दिए गए आंकड़ों को लेखा कार्यालय पुस्तकों में दर्शाए गए आंकड़ों को समन्वित करने हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

मार्च 2010, मार्च 2011 और मार्च 2012 के महीनों के लिए व्यय के मासिक प्रगति प्रतिवेदन से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 के लिए प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा तैयार अनुदान सं. 5 के विनियोजन लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों और विभाग अध्यक्ष द्वारा तैयार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों में विसंगतियाँ थीं, जैसा कि **परिशिष्ट 2.16** में दर्शाया गया है।

2.8.6 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56(2) यह प्रावधान करता है कि अनुदान अथवा विनियोजन को, जैसे ही इनका पूर्वानुमान कर लिया जाए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाए। अव्ययित प्रावधान भविष्य की किसी संभावित अधिकता हेतु भी बचा कर नहीं रखना चाहिए। नमूना जाँच में पाया गया कि इसके विपरीत, केन्द्रीय कारागार ने वर्ष 2010-11 और 2011-12 में क्रमशः कुल ₹ 3.71 करोड़ और ₹ 3.00 करोड़ के अव्ययित प्रावधान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अभ्यर्पित किया। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.17** में दिए गए हैं। ये अभ्यर्पण वित्त मंत्रालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा निर्गत अभ्यर्पण आदेशों में सम्मिलित नहीं हैं। यदि उपरोक्त अव्ययित प्रावधान समय पर अभ्यर्पित किया जाता, तो इन्हें समाप्त होने देने के बजाए इनका सरकार की अन्य योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों में सफल रूप से उपयोग किया जा सकता था।

2.8.7 व्यय का द्रुत प्रवाह

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56(3) के अनुसार व्यय का द्रुत प्रवाह, विशेषतः यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्च के महीने के दौरान विभाग द्वारा लेखे के तीन शीर्षों के विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत किया गया शीर्षवार व्यय कुल व्यय का 52 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य था और वर्ष की अंतिम तिमाही में कुल व्यय के 64 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के मध्य था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.18** में दर्शाया गया है।

2.8.8 अव्यावहारिक बजटीकरण

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्तियों और महत्वपूर्ण कारकों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए मितव्ययिता हेतु निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने चाहिए। वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि लेखों के तीन शीर्षों के नौ उपशीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया (**परिशिष्ट 2.19**)।

विनियोजन लेखों में दर्शाए गए कारणों से पता चला कि मामला अभी बी.आई.एस. के अन्तर्गत प्रक्रिया में है, ओवरटाईम भत्ता की अदायगी नहीं की गई और विदेश यात्राओं का आयोजन नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि बजट अनुमान को पर्याप्त पूर्व बजटीय समीक्षा के बाद नहीं बनाया गया।

2.8.9 अनावश्यक पूरक अनुदान

पूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग को उपलब्ध संसाधन या वर्ष के दौरान उपलब्ध रहने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता के अनुमान के समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। पूरक माँगों का सहारा केवल असाधारण व अत्यावश्यक मामलों में ही लेना चाहिए।

लेखापरीक्षा से पता चला कि निम्न मामलों में विभाग ने उच्चतर व्यय का पूर्वाभास कर पूरक प्रावधानों की माँग की परंतु अंतिम व्यय मौलिक अनुदानों/विनियोजनों से कम था, जो यह दर्शाता है कि पूरक प्रावधान अनावश्यक थे और बजटीकरण दोषपूर्ण था। पूरक अनुदानों के अनुपयोग के कारण, रिक्त पदों का न भरा जाना, कम बिलों/दावों की प्राप्ति और मितव्ययिता के उपाय बताए गए।

तालिका 2.10 : अनावश्यक पूरक अनुदान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	व्यय न किया गया प्रावधान
1.	2010-11	2070-सी1(1) (1) (4) नागरिक सुरक्षा का पुनरीक्षण करना (राज्य का हिस्सा)	पू.-8.00	शून्य	8.00
2.	2010-11	2070-सी1(1)(2) सुरक्षा व नियंत्रण भारत	मू.-9147 पू.-1134 पू.-(-) 923	7927.29	3276.71
3.	2011-12	2070-सी1(1)(4)(1)- प्रशिक्षण हेतु उपकरण की खरीद (सीएसएस)	पू.-1.00 पू.-37.27	शून्य	38.27

2.8.10 उप-शीर्षों में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

निम्नलिखित उप-शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि उप-शीर्षों के अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक पाया गया।

उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें उप-शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजित धनराशि से अधिक थीं, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 2.11 : उप-शीर्षों में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	उप-शीर्ष	मूल (₹)	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें
1.	2010-11	2056-ए 1-कारागार ए 1(1) निर्देशन और प्रशा. ए 1(1)(1) कारागार स्था. (भारत)	15.00	7.00	22.00	12.11	9.89
2.	2010-11	2055-डी1 पुलिस डी1(1) अपराधशास्त्र डी1(1)(1) अपराधशास्त्र प्रयोगशाला	1169.00	42.20	1211.20	925.94	285.26
3.	2011-12	ए 1- कारागार ए 1(1) निर्देशन और प्रशा. ए 1(1)(1) कारागार स्था. (भारत)	23.00	2.00	25.00	17.70	7.30

2.8.11 विनियोजन से अधिक व्यय

यह लेखा कार्यालय का एक महत्वपूर्ण प्रकार्य है कि बजटीय आवंटन से अधिक भुगतान न किया जाए। वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा अदायगी अनुदान का नियंत्रण करने वाले विभागाध्यक्ष से यह लिखित आश्वासन कि संवितरण को समायोजित करने हेतु आवश्यक निधियाँ पुनर्विनियोजन आदेश के निर्गत द्वारा प्रदान की जाएँगी, प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी।

नागरिक सुरक्षा व होम गार्ड्स निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि उपशीर्ष 2070 व 1(1)(1)(9)-अन्य शुल्क के अन्तर्गत अनुदानों की माँग में मूल प्रावधान ₹ 4.99 करोड़ था जो वर्ष 2009-10 हेतु संशोधित अनुमानों में बढ़कर ₹ 5.52 करोड़ कर दिया गया। हालांकि विभाग ने बजट प्रावधान में दिए गए ₹ 5.52 करोड़ के प्रति ₹ 5.64 करोड़ का व्यय किया। इस प्रकार, विभाग ने ₹ 0.12 करोड़ का अधिक भुगतान किया। परंतु अधिक व्यय को समायोजित करने हेतु कोई पुनर्विनियोजन आदेश निर्गत नहीं किए जो दोषपूर्ण बजटीय नियंत्रण की ओर संकेत करता है।

2.9 आन्तरिक लेखापरीक्षा

जीएनसीटीडी दिल्ली का लेखापरीक्षा निदेशालय, गृह विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा के आयोजन हेतु उत्तरदायी है। यह पाया गया कि गृह विभाग के अन्तर्गत इकाईयों की लेखापरीक्षा का कार्य नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। 2010-11 से 2011-12 की अवधि हेतु गृह विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है।

2.10 निष्कर्ष

2011-12 के दौरान ₹ 28050.67 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 26458.40 करोड़ का व्यय हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1592.27 करोड़ (5.67 प्रतिशत) का प्रावधान अव्ययित रहा गया। बचतें मुख्यतः कम दावों/बिलों की प्राप्ति, भण्डार मदों/मशीनरी व उपकरण का कम क्रय, विभिन्न संगठनों को कम अनुदान निर्गत करने, कार्य की धीमी प्रगति और समय पर क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण हुई थीं। 2006-07 से 2010-11 की अवधि से संबंधित ₹ 47.60 करोड़ के अधिक व्यय का संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित था। जबकि 31 मामलों में ₹ 118.48 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक था, 40 मामलों में जिनमें अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं, निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 211.95 करोड़ का प्रावधान अप्रयुक्त रह गया/अधिक हो गया। आठ अनुदानों व एक विनियोजन में, वित्त वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 272.23 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया। आठ अनुदानों/विनियोजनों में रिक्त पदों हेतु ₹ 220.64 करोड़ का प्रावधान जीएनसीटीडी के वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंघन करते हुए किया गया।

2.11 सिफारिशें

बजटीकरण प्रक्रिया में परिणाम उत्पन्न करने में सम्बद्ध निष्पादन और व्यय के बीच सम्बन्ध पर सूचना को सम्मिलित किया जाना चाहिए। बजटीय नियंत्रण को उन सभी सरकारी विभागों में सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जहाँ पिछले पाँच वर्षों से निरंतर बचतें हो रही हैं। पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण आदेश वर्ष के अंत में निर्गत नहीं करने चाहिए, जैसा कि पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी बताया गया है। ऐसे शीर्षों में जहाँ वास्तविक अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, पुनर्विनियोजन/पूरक अनुदानों को समुचित आकलन करने के बाद दिया जाना अपेक्षित है। रिक्त पदों के प्रावधान रखने की प्रथा से भी बचना चाहिए।